संख्या म0भो0प्रा0/C-77/2019-20

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–3 दिनाँक 09 अप्रैल, 2019

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित वर्तमान दिशानिर्देशों के क्रम में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः F.No. 1-4/2018-Desk (MDM) दिनांक 14 मार्च, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित वर्तमान दिशानिर्देशों के क्रम में आंशिक संशोधन *(minor modifications from the existing guidelines)* करने हेतु निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गयी हैः–

"I am directed to convey the approval of the Central Government for delegation of power to District Level Committee headed by District Magistrate for minor modifications from the existing guidelines under Mid Day Meal Scheme.

2. The District Level Committee headed by District Magistarte, in consultation with State Government may exercise the power for minor modifications such as menu as per the local needs, rationalization of kitchen devices procurement based on exact enrolment in schools, design flexibility in construction of kitchen-cum-store, health check-up of cook-cum-helpers etc. These activities are only illustrative in nature and not exhaustive.

3. The State will ensure that any such modifications should remain within the prescribed norms for different components.

4. All States and UTs are requested to disseminate the above revisions to all concerned."

उपर्युक्त पत्र के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य सरकार की सहमति से यथाआवश्यक आंशिक/सूक्ष्म संशोधन *(Minor modifications)* किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उपर्युक्त पत्र के अनुपालन में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्तमान दिशानिर्देशों में स्थानीय स्तर पर विद्यालयों में छात्रों के वास्तविक नामांकन के दृष्टिगत मेन्यू, किचेन कम स्टोर निर्माण, किचेन उपकरण एवं कुक कम हेल्पर के स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित वर्तमान विद्यमान व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन/संशोधन अपेक्षित होने पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा आंशिक/सूक्ष्म संशोधन *(Minor modifications)* का प्रस्ताव शासन/मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्तावित आंशिक/सूक्ष्म संशोधन *(Minor modifications)* स्थानीय परिस्थितयों के कारण अपेक्षित है।

अतः मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु वर्तमान में प्रचलित दिशानिर्देश एवं शासनादेशों के आलोक में जनपद स्तर से विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत आंशिक/सूक्ष्म संशोधन *(Minor modifications)* की आवश्यकता प्रतीत होने पर उपर्युक्तानुसार तथ्यात्मक, तार्किक एवं सुसंगत प्रस्ताव शासन/निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को 15 दिवसों के अन्तर्गत भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र के आलोक में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव

F. No. 1-4/2018-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
******

ShastriBhavan, New Delhi
Dated the 14th March, 2019

To

The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/ Secretaries (Education) or the Nodal Department for Mid-Day Meal in all States/Union Territories.

Subject: Delegation of powers to District Level Committee for minor modifications under the National Programme of Mid-Day Meal in Schools (NP-MDMS)

Sir/Madam

I am directed to convey the approval of the Central Government for delegation of power to District Level Committee headed by District Magistrate for minor modifications from the existing guidelines under Mid Day Meal Scheme.

2. The District Level Committee headed by District Magistrate, in consultation with State Government may exercise the power for minor modifications such as menu as per the local needs, rationalization of kitchen devices procurement based on exact enrolment in schools, design flexibility in construction of kitchen-cum-store, health check-up of cook-cum-helpers etc. These activities are only illustrative in nature and not exhaustive.

3. The State will ensure that any such modifications should remain within the prescribed norms for different components.

4. All States and UTs are requested to disseminate the above revisions to all concerned.

Yours faithfully

(R C MEENA)
Joint Secretary to the Government of India

Copy to

1. Commissioner / Director (MDM) in all States and UTs
2. Director (VBG)/Deputy Secretary(RA)/Deputy Secretary (DA)
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L)
4. Under Secretary (RK/SA/AD) in MDM Division
5. All Section Officers in MDM Division
6. Chief Consultants/Senior Consultants/Consultants in TSG-MDM